



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के प्रयास के 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20000/- के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 370/2018, धारा- 307 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे-4 कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.वेदप्रकाश तिवारी पुत्र बाबूलाल तिवारी 2. सत्यम उर्फ मोनू तिवारी पुत्र वेदप्रकाश तिवारी नि0गण पचखुरा बुजुर्ग थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC
श्री चन्द्रप्रकाश गोस्वामी



विवेचक
उ0नि0 श्री मोहन सिंह



पैरोकार थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह